न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या– 115/2024
जीसीएमएस संख्या– 2024/176

अपीलांट्सः–

01. भंवराराम पुत्र दलाराम

02. शंकराराम पुत्र किशनाराम

जातियान सुथार निवासीगण भाण्डू जाटी, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़
2. चुतराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी जाटी भाण्डू, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 21–09–2007 कमांक/भू.अ./07/2801 से तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

01. अधिवक्ता श्री अशोक सारण, श्री भंवरलाल चौधरी (अपीलांट्स की ओर से)
02. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मुण्डण, श्री सुरेन्द्र गोदारा (प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से)

निर्णय दिनांक 27.04.2026

1. यह अपील राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश कमांक/भू.अ./07/2801 दिनांक 21.09.2007 अंतर्गत धारा 55 राजस्थान टिनेंसी एक्ट को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 19.07.2024 को पेश की गई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया जाकर, रिकॉर्ड मंगवाया गया। प्रत्यर्थी सं. 2 चुतराराम के एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर, अपील में उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करने का प्रस्तुत किया गया, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2025 को स्वीकार किया गया एवं चुतराराम को प्रत्यर्थी 2 के रूप में संयोजित किया गया, जिनकी ओर से श्री हनुमानराम मुण्डन ने वकालतनामा पेश किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों के अनुसार अपील के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व अन्य सहखातेदारों के नाम से ग्राम भाण्डू जाटी, तहसील शेरगढ के ख.नं. 756 रकबा 55 बीघा 03 बिस्वा भूमि खातेदारी में आई हुई है। ख.नं. 756 की भूमि में से अपीलांट ने कभी भी भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में नहीं किया गया है तथा न ही समर्पण हेतु सहमति दी है, फिर भी तहसीलदार, शेरगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2007 को पारित करके भूमि का समर्पण स्वीकार किया है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.07.2024 को, पटवारी द्वारा रास्ते की भूमि पर काश्त करने बाबत एतराज किये जाने पर हुई। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।
4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।
5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शेरगढ से तलब की गई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे। नामांतरकरण की पुश्त पर की गई तरमीम से, वर्तमान में मौके पर अन्यत्र सडक चल रही है। सन् 2007 में समर्पित की गई भूमि पर सन् 2011 में ग्रेवल सडक बनी है, अतः नक्शे में तरमीम गलत की गई है, जो प्रत्यर्थी चुतराराम ने गलत जगह तरमीम कराई है, जिसमें अपीलांट का कोई हित निहित नहीं है। प्रत्यर्थी 2 के सिवाय अन्य का कोई हित नहीं है। अपीलांट्स के खेत में से ग्रेवल सडक बन चुकी है, वह सही जगह बनी है। अगर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तो उसे दोहरा नुकसान होगा। अतः अपील स्वीकार की जावे।
6. प्रत्यर्थी 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए तर्क दिया कि अपीलांट व 14 अन्य सहखातेदारों ने ख.नं. 756 रकबा 55–03 बीघा भूमि में से सन् 2007 में 11 बिस्वा भूमि सरकार के पक्ष में समर्पित की, सिर्फ 2 सहखातेदारों ने ही यह अपील पेश की है। समर्पण डीड पर सभी सहखातेदारान ने हस्ताक्षर/अंगूठे किये है जिनकी पहचान हनुमानराम पुत्र अमोलखराम ने की है। उसी दिन अन्य खातेदारान ने भी भूमि समर्पित अन्य खसरों में से की है, जिसमें प्रत्यर्थी 2 ने ख.नं. 722 में से तथा अन्य ने ख.नं. 759 में से रास्ते के लिए समर्पित की थी। ख.नं. 722 व 759 के बीच में ख.नं. 756 अपीलांट का है, जिसमें से उसने भी 11 बिस्वा भूमि समर्पित की, ताकि सीधी लाईन में रास्ता कायम हो सके। अपीलांट ने अन्य जगह ग्रेवल सडक निर्मित होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा न ही अपील मीमों में अंकित किया है। ख.नं. 756 के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। समर्पण पत्र पर एवं मौका फर्द पर अपीलांट के हस्ताक्षर मेल खाते है। प्रत्यर्थी 2 के लिए आने–जाने का अन्य कोई

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर अपीलाधीन समर्पण अपास्त किया जाता है, तो प्रत्यर्थी 2 के अधिकार/हित विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। अतः अपील खारिज की जावे।

7. प्रत्यर्थी 2 के उक्त बहस के प्रत्युत्तर में अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट ने ग्रेवल सडक बनाने के लिए भूमि समर्पित की थी तथा उसी जगह नरेगा योजना में ग्राम पंचायत ने ग्रेवल सडक बनाई है। लेकिन प्रत्यर्थी 2 जिस जगह पर भूमि समर्पित होने का कथन कर रहा है, वहां पर भूमि समर्पित नहीं की थी। अतः अपील स्वीकार की जाकर तरमीम संशोधित की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर, उस पर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों एवं कथनों पर मनन किया।

9. यह अपील तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2007 के अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 19.07.2024 को इस न्यायालय में 17 वर्षों की देरी से प्रस्तुत की है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया है जिसमें अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश से की गई तरमीम की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.07.2024 को पटवारी हल्का द्वारा कटाण भूमि पर काश्त करने से मना करने पर हुई। उसके पश्चात् दिनांक 11.07.2024 को आदेश की नकले लेकर यह अपील जानकारी की तिथि से अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

प्रत्यर्थी 2 ने अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र में लिखित जवाब मय शपथ पत्र पेश कर खण्डन नहीं किया है। प्रत्यर्थी 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में देरी के लिए अंकित कारण पर्याप्त एवं मानने योग्य नहीं है। अपीलांट स्वयं ने भूमि समर्पित की है, उसे जानकारी थी। अतः अपील म्याद बाहर पेश होने से अस्वीकार की जावे।

हमने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। मौके पर ग्रेवल सडक ख.नं. 756 में पटवारी भाण्डू जाटी की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2025 अनुसार निर्मित बताई है, जो आवागमन के लिए चालू है। प्रार्थी चुतराराम के घर जाने के लिए उक्त सडक का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। अतः अपीलांट्स भ्रम में रहा हो कि कटाण मार्ग सडक की जगह ही है। अतः न्यायहित में अपीलांट को मेरिट पर सुनना न्यायोचित है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को पर्याप्त मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है।

10. तहसीलदार, शेरगढ से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार अपीलांट व अन्य सहखातेदारान ने दिनांक 20.08.2007 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर ख.नं. 756 रकबा 55–03 बीघा में से 11 बिस्वा भूमि का राज्य सरकार को समर्पण पत्र के जरिये समर्पित की है। सभी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सहखातेदारान की पहचान श्री हनुमानराम सुथार ने की है। समर्पण पत्र के संलग्न ख. नं. 756 का नक्शा किश्तवार की प्रमाणित प्रति पी–35 क्रमांक 219 दिनांक 10.08.2007 संलग्न है, जिस पर सभी सहखातेदारान के हस्ताक्षर/अंगूठा है तथा उसमें ख.नं. 756 में से समर्पित भूमि को लाल स्याही से दर्शाया है, जो ख.नं. 722 व 759 की सीध में है। यह समर्पण तहसीलदार ने प्रमाणित किया है। पटवारी द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 27.12.2025 में भी, समर्पित भूमि की तरमीम, मूल समर्पणनामा के संलग्न उक्तानुसार नक्शे के अनुसार ही है अर्थात् तरमीम आदेश के अनुसार ही की गई है। तहसीलदार ने समर्पणनामा, आदेश क्रमांक 2801 दिनांक 21.09.2007 से स्वीकार किया है, तथा उसी अनुसार नामांतरकरण दर्ज करके रिकॉर्ड में अमल दरामद किया है।

11. दिनांक 21.09.2007 को ही अन्य ख.नं. 722 में से 12 बिस्वा भूमि आदेश क्रमांक 2805 दिनांक 21.09.2007 से समर्पित की गई है।
12. इसी प्रकार दिनांक 21.09.2007 को ही अन्य खसरा सं. 759 में से 10 बिस्वा भूमि का समर्पण, आदेश क्रमांक 2813 से स्वीकार किया गया है।
13. उक्त ख.नं. 759, 756, 722 में किया गया समर्पण एक सीधी लाईन में स्वीकार किया गया है, जो वर्तमान नक्शें से भली भांति साबित है।

ख.नं. 722 में यह समर्पण (722/1) ख.नं. 724 की माठ के सहारे तथा ख.नं. 759 में से (759/1) ख.नं. 767 की सीमा के सहारे किया गया है तथा ख.नं. 756 में से किये गये समर्पण (756/1) को सीधी लाईन में जोडता है।

परंतु पटवारी हल्का ने जो मौका रिपोर्ट पेश की है, वह खसरा नं. 756 में बिल्कुल ही अलग चलना दर्शाया है तथा वह नक्शा में तरमीम की हुई नहीं है तथा इस सडक से, प्रत्यर्थी 2 के खेत खसरा नं. 722, 724, 720 के काश्तकार आवागमन नहीं कर सकते उक्त समर्पण दिनांक 21.09.2007 को स्वीकार किया गया है तथा समर्पित की गई भूमि एक सीधी लाईन में है। परंतु ख.नं. 756 में मौके पर जो ग्रेवल सडक बनी हुई बताई है, वह बहुत बाद में सन् 2011 में एयरटेल स्कूल से सुथारों की ढाणी तक ग्रेवल सडक 30.06.2011 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति आदेशानुसार नरेगा योजना में स्वीकृत की है, जिसका अपीलाधीन समर्पण से कोई संबंध ही नहीं है तथा मौका रिपोर्ट में भी पटवारी ने अंकित किया है कि ग्रेवल सडक से, प्रत्यर्थी 2 चुतराराम, ख.नं. 722 तक नहीं पहुंच सकता।

उक्तानुसार अभिलेखीय विवेचन एवं मौका रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड अनुसार, अपीलाधीन समर्पण आदेश एवं अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार की अवैधानिकता, अनियमितता एवं त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, बलहीन

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

होने से खारिज योग्य है तथा तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2007 यथावत रखने एवं पुष्टि योग्य है।

14. प्रकरण के परीक्षण से यह तथ्य उजागर हुआ है कि अपीलांट्स के खेत ख.नं. 756 में से निर्मित ग्रेवल सडक, राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है तथा राजस्व नक्शों में भी तरमीम की हुई नहीं है। ग्राम पंचायत, नरेगा योजना में प्राईवेट व्यक्तियों की भूमि पर बिना उनकी सहमति प्राप्त किये सडक का निर्माण नहीं कर सकती। अगर अपीलांट्स ने, उक्त ग्रेवल सडक ख.नं. 756 की भूमि पर बनाने की सहमति नहीं दी है, तो अपीलांट्स ग्राम पंचायत के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यादेवी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश (2020)2 एस.सी.सी. 569 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2020 का पैरा सं. 10.5 में इस प्रकार प्रतिपादित किया है:

"10.5 In a Democratic polity governed by rule of law, the state could not have deprived a Citizen of their property without due process of law. Reliance is placed on the judgement of this court in Tuka ram Kana Joshi & Ors. VS MIDC & Ors., where in it was held that the state must comply with the procedure for acquisition, requisition or any other permissible statutory mode. The State being a welfare state governed by the rule of law cannot arrogate to itself a status beyond what is provided in the constitution.

This court in State of Haryana VS Mukesh Kumar ((2013)1 SCC 353) held that the right to property is now considered to be not only a constitutional right, but also a human right.

Human Rights have been considered in the realm of individual right such as right to shelter, livelihood, health, employment etc. Human Rights have gained a multifaceted dimensions.

आदेश

15. परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार विश्लेषण एवं निष्कर्षानुसार, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन, बलहीन एवं विधि प्रावधानों के विपरीत होने से अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक भू.अ./07/2801 दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

21.09.2007 की पुष्टि की जाती है तथा आदेश यथावत रखा जाता है तथा आदेशानुसार ग्राम भाण्डू जाटी के खेत खसरा नं. 756 रकबा 55–03 बीघा में से समर्पित 11 बिस्वा भूमि तथा आदेश के संलग्न नक्शा किश्तवार में लाल स्याही से दर्शायी भूमि को नक्शों में एवं अन्य अभिलेखों में किये समस्त इंद्राजात यथावत रखे जाते है। राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 55 के अंतर्गत टिनेंट्स द्वारा समर्पित की गई कृषि भूमि सर्वदा राजकीय सिवायचक भूमि है, जिस पर मालिकाना हक केवल राजस्थान सरकार का है। अगर उक्त सरकारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तो संबंधित तहसीलदार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के अंतर्गत तुरंत कानूनी कार्यवाही करके अतिक्रमण तुरंत हटावे।

16. ख.नं. 759/1, 756/1 तथा 722/1 की समर्पित भूमि वर्तमान में रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक, किस्म बारानी प्रथम दर्ज है। तहसीलदार शेरगढ, राज्य सरकार के आदेशानुसार मौका उपयोग की स्थिति अनुसार, रिकॉर्ड में इंद्राज करने की कार्यवाही नियमानुसार करे।
17. प्रकरण में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र को, मूल अपील खारिज होने के कारण, अस्वीकार किया जाता है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.08.2024 को, आदेश दिनांक 11.09.2025 से पूर्व में ही (Vacate) खारिज किया जा चुका है।
18. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, शेरगढ को लौटाया जावे।
19. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।
20. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।